RB-581
20 MAR 2014

RBE No. 25/2014

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2014/TR/1 New Delhi dated 14/03/2014

The General Managers(P),
All zonal Railways and Production Units.
(As per standard list).

Sub:- Choice posting of staff deployed in Udhampur-Srinagar-Baramullah Rail Link (USBRL) Project.

One of the Federations e.g. AIRF have raised a demand in the PNM meeting held in January, 2014, that staff deployed in USBRL Project under the jurisdiction of Northern Railway may, on the completion of their tenure, be posted at a station/division/zone of their choice on all the zonal Railways.

2. The matter has accordingly been considered by Board. It is desired that if such staff apply for request transfer on bottom seniority or mutual transfer, as the case may be, to any division/zone of the Railways their applications for the purpose may be processed out of turn basis. Moreover, if the request for transfer is within parent seniority unit in their substantive post, then they may be posted at the station/place of their choice if post being held is available. In all such cases, transfer shall be effected in time bound manner following the extant instructions/policy of request/mutual transfer as contained in Paras 310 & 312 of IREM Vol.I 1989 Edition, Paras 229 & 230 of IREC Vol.I. 1985 Edition, Board's letter No. E(NG)I-96/TR/28 dated 06.12.1996, E(NG)I-2004/TR/16 dated 14.08.2007 and dated 22.10.2007. The Railways may please ensure strict compliance. **This may be given wide publicity.**

Please acknowledge receipt.

(Arvind Kumar)
Executive Director Estt.(N)
Railway Board.

20 MAR 2014

आरबीई सं. 25/2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2014/टीआर/1

नई दिल्ली, दिनांक 14 /03/2014

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार).

विषय:- ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना में तैनात कर्मचारियों की पसंद की तैनाती करना।

एक फेडरेशन अर्थात् एआईआरएफ ने जनवरी, 2014 को संपन्न पीएनएम की बैठक में यह मांग की है कि उत्तर रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यूएसबीआरएल परियोजना में तैनात कर्मचारियों को उनका कार्यकाल पूरा होने पर सभी क्षेत्रीय रेलों में उनकी पसन्द के स्टेशन/मंडल/जोन में तैनात किया जाए।

2. तदनुसार बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है। यह वांछा की जाती है कि यदि ऐसे कर्मचारियों द्वारा रेलवे के किसी मंडल/जोन में निचली वरीयता अथवा परस्पर रूप से स्थानांतरण, जैसा भी मामला हो, के आधार पर स्थानांतरण के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन किया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए उनके आवेदन पर बिना बारी के कार्यवाही की जाए। इसके अलावा, यदि स्थानांतरण के लिए अनुरोध उनके मूल पद पर मूल यूनिट की वरीयता के आधार पर किया जाता है तो धारित पद उपलब्ध होने पर उन्हें उनकी पसंद के स्टेशन/स्थान पर तैनात किया जाए। ऐसे सभी मामलों में स्थानांतरण आईआरईएम वॉल.। 1989 संस्करण के पैरा 310 एवं 312, आईआरईसी वॉल.। 1985 संस्करण के पैरा 229 एवं 230, बोर्ड के दिनांक 06.12.1996 के पत्र सं. ई(एनजी)I-96/टीआर/28, दिनांक 14.08.2007 तथा दिनांक 22.10.2007 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2004/टीआर/16 में यथा निहित मौजूदा अनुदेशों/अनुरोध संबंधी नीति/परस्पर रूप से स्थानांतरण का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। रेलें कृपया इसका कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। **इसका व्यापक प्रचार किया जाए।**

कृपया पावती दें।

(अरविंद कुमार)
कार्यपालक निदेशक स्था.(एन)
रेलवे बोर्ड